



Government of Rajasthan  
Office of the Commissioner of Industries & Commerce  
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005

क्रमांक- F330CI/RIPS/MIS/2024-05105

दिनांक- 27/08/24

परिपत्र

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत पात्रता अनुसार परिलाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित आवेदक/उद्यमी से कोई फीस अथवा शुल्क लिए जाने का प्रावधान नहीं है।

  
(रोहित गुप्ता)

आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य